

संख्या:383/एक-10-2023-33(35)/2018

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा, उन्नाव, प्रयागराज, झाँसी, वाराणसी, हमीरपुर एवं हाथरस।

राजस्व अनुभाग- 10

लखनऊ दिनांक:

05/04/2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2022-23 में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु ₹ 39,05,02,873/- (रुपये उन्तालिस करोड़ पाँच लाख दो हजार आठ सौ तिहत्तर मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य आपदा मोचक निधि के ओलावृष्टि मद-05 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के कॉलम-4 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्रमांक	जनपद का नाम	पत्रांक/दिनांक	स्वीकृत धनराशि (रुपये में)
1	2	3	4
1	आगरा	619/विविध लिपिक/2022-23/21.03.2023	3,25,94,550/-
2	उन्नाव	477/ए० सी० आर० ए०-5/2022-23/23.03.2023	6,12,55,500/-
3	प्रयागराज	627/आपदा/2022-23/25.03.2023 एवं 671/आपदा-यजट-2023-24/01.04.2023	6,37,23,713/-
4	झाँसी	1063/मु० रा० आ०-03(13)/द० आ०/2022-23/25.03.2023	24,65,000/-
5	वाराणसी	2035/जि० आ० प्र० प्रा०/क्षति/2022-23/22.03.2023	22,30,91,110/-
6	हमीरपुर	3583/सी० आर० ए०-तेरह-द० आ०-ओलावृष्टि फसल क्षति(2022-23)/01.04.2023	11,00,000/-
7	हाथरस	826/अतिवृष्टि पत्रा०/2022-23/31.03.2023	62,73,000/-
योग			39,05,02,873/-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक-10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से कृषि निवेश अनुदान आनलाइन माड्यूल के तहत जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/2020-NDM-I (Vol-II), दिनांक-10.10.2022 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो वित्तीय वर्ष-2022-23 से प्रभावी है, का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।
- (6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचन/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय ₹ 39,05,02,873/- (रुपये उन्तालिस करोड़ पाँच लाख दो हजार आठ सौ तिहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000605 ओलावृष्टि से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by सुधीर गर्ग

Date: 05-04-2023 17:02:27

(सुधीर गर्ग)
Reason: Approved

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-383(1)/एक-10-2023-33(35)/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वितीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-06/04/2023

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

383
001-383
51 राजस्व विभाग (द्वी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वितीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
05 - ओलावृष्टि राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	32594550 32594550	32594550 32594550
2	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	63723713 63723713	63723713 63723713
3	झोंसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	2465000 2465000	2465000 2465000
4	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	1100000 1100000	1100000 1100000
5	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	223091110 223091110	223091110 223091110
6	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	61255500 61255500	61255500 61255500
7	हाथरस-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	6273000 6273000	6273000 6273000
	योग	वर्तमान प्रणामी	390502873 390502873	390502873 390502873

महायोग-(वर्तमान आवंटन):-
महायोग-(प्रणामी आवंटन):-

रूपया उनतालीस करोड़ पाँच लाख दो हजार आठ सौ तिहत्तर
रूपया उनतालीस करोड़ पाँच लाख दो हजार आठ सौ तिहत्तर

८

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी



Digitally signed by subhash pratap singh;
Reason: Allment Completed
Location: Uttar Pradesh
Date: 2023.04.06 01:39:01 +05:30

Digitally signed by subhash pratap singh;
Reason: Allment Completed
Location: Uttar Pradesh
Date: 2023.04.06 01:39:01 +05:30